न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी

अनुपमा जोरवाल (I.A.S.)
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

मैन्युअल प्रकरण संख्या	RCMS प्रकरण संख्या	दर्ज दिनांक	पट्टा कमांक	नाम निगरानीकार	नाम अप्रार्थी/विपक्षीगण
1	2	3	4	5	6
13/17	2017/00034	22.11.2017	पट्टा कमांक 1 दिनांक 23.12.2004 आ.नं. 113/2	विकास अधिकारी, पंचायत समिति प्रतापगढ़	1– श्री देवीलाल पिता भागीरथ पाटीदार निवासी प्रतापपुरा ग्राम पंचायत घोटारसी 2–सरपंच ग्राम पंचायत घोटारसी 3–सचिव, ग्राम पंचायत घोटारसी
14/17	2017/00035	22.11.2017	पट्टा कमांक 2 दिनांक 23.12.2004 आ.नं. 113/2	विकास अधिकारी, पंचायत समिति प्रतापगढ़	1– श्री मांगीलाल पिता भागीरथ पाटीदार निवासी प्रतापपुरा ग्राम पंचायत घोटारसी 2–सरपंच ग्राम पंचायत घोटारसी 3–सचिव, ग्राम पंचायत घोटारसी
15/17	2017/00036	22.11.2017	पट्टा कमांक 3 दिनांक 23.12.2004 आ.नं. 113/2	विकास अधिकारी, पंचायत समिति प्रतापगढ़	1– श्री दिनेश पिता भागीरथ पाटीदार निवासी प्रतापपुरा ग्राम पंचायत घोटारसी 2–सरपंच ग्राम पंचायत घोटारसी 3–सचिव, ग्राम पंचायत घोटारसी
16/17	2017/00037	22.11.2017	पट्टा कमांक 4 दिनांक 23.12.2004 आ.नं. 113/2	विकास अधिकारी, पंचायत समिति प्रतापगढ़	1– श्री जगदीश पिता भागीरथ पाटीदार निवासी प्रतापपुरा ग्राम पंचायत घोटारसी 2–सरपंच ग्राम पंचायत घोटारसी 3–सचिव, ग्राम पंचायत घोटारसी

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

17/17	2017/00038	22.11.2017	पट्टा कमांक 5 दिनांक 23.12.2004 आ.नं. 113/2	विकास अधिकारी, पंचायत समिति प्रतापगढ़	1– श्री कलावती पति भागीरथ पाटीदार निवासी प्रतापपुरा के कायम मुकाम 1– श्री भागीरथ पिता अम्बालाल पाटीदार 2–श्री देवीलाल पिता भागीरथ पाटीदार 3–श्री मांगीलाल पिता भागीरथ पाटीदार 4–श्री दिनेश पिता भागीरथ पाटीदार 5–श्री रामदयाल पिता भागीरथ पाटीदार 6–श्री जगदीश पिता भागीरथ पाटीदार सभी निवासियान, प्रतापपुरा ग्राम पंचायत घोटारसी 2–सरपंच ग्राम पंचायत घोटारसी 3–सचिव, ग्राम पंचायत घोटारसी
18/17	2017/00039	22.11.2017	पट्टा कमांक 6 दिनांक 23.12.2004 आ.नं. 113/2	विकास अधिकारी, पंचायत समिति प्रतापगढ़	1– श्री रामदयाल पिता भागीरथ पाटीदार निवासी प्रतापपुरा ग्राम पंचायत घोटारसी 2–सरपंच ग्राम पंचायत घोटारसी 3–सचिव, ग्राम पंचायत घोटारसी
19/17	2017/00040	22.11.2017	पट्टा कमांक 7 दिनांक 23.12.2004 आ.नं.113/2	विकास अधिकारी, पंचायत समिति प्रतापगढ़	1–श्री भागीरथ पिता अम्बालाल पाटीदार निवासी प्रतापपुरा ग्राम पंचायत घोटारसी 2–सरपंच ग्राम पंचायत घोटारसी 3–सचिव, ग्राम पंचायत घोटारसी

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायतीराज अधिनियम 1994

उपस्थिति :–

1. श्री रविन्द्र कुमार सर्राफ अधिवक्ता निगरानीकार
2. श्री जितेन्द्र राठौड अधिवक्ता अप्रार्थीगण/विपक्षीगण

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

-: निर्णय :-

दिनांक 12.02.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकार द्वारा निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायतीराज अधिनियम 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत घोटीरसी तहसील प्रतापगढ़ के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरपंच एवं सचिव, ग्राम पंचायत घोटारसी द्वारा दिनांक 23.12.2004 को आबादी भूमि खसरा संख्या 113/2 ग्राम प्रतापपुरा में पट्टा संख्या 1/ 2004 से 07/2004 आपसी बातचीत द्वारा रूपया 1151 प्रति पट्टे के हिसाइ से विक्रय कर में कॉलम संख्या 6 में अंकित विपक्षीगणों को दिनांक 23.12.2004 को पट्टा संख्या 1/ 2004 से 06/2004 में 3750 वर्गफीट तथा पट्टा संख्या 7/ 2004 में 1152 वर्गफीट के विक्रय विलेख पट्टे जारी किये गए।

उक्त पट्टों बाबत् दिनांक 01.04.2006, 03.04.2006 व 06.05.2006 को अंकेक्षण रिपोर्ट में उक्त पट्टों को पंचायत अधिनियम की धारा 156 (2) के तहत विधि विरूद्ध मानकर आवंटित पट्टे की भूमि का बाजार दर से राशि वसुल किये जाने के निर्देश प्रदान किये। जिस पर प्रकरण जानकारी में आने पर दिनांक 15.11.2017 को विपक्षीगणों को कार्यालय ग्राम पंचायत घोटारसी जरिये सरपंच द्वारा सुचना पत्र बाबत् पट्टा संख्या 1/ 2004 से 06/2004 हेतु प्रत्येक प्रकरण में रूपया 1,11,349 की वसुली नोटिस जारी किये गये तथा पट्टा संख्या 7/ 2004 के लिए रूपया 33409/-रू. की वसुली नोटिस जारी जिस पर विपक्षीगणों ने उपस्थित होकर राशि जमा कराने में असमर्थता व्यक्त की व दिनांक 23.12.2004 को जारी किये गये अपने नाम के ग्राम प्रतापपुरा के पट्टों को निरस्त किये जाने का निवेदन मय प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 20.11.2017 को ग्राम पंचायत घोटारसी के बैठक में उक्त पट्टों को निरस्त करने बाबत् सर्वसम्मति से प्रस्ताव लिया जाकर निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि :-

1. यह कि उक्त प्रकरण में जारी ग्राम प्रतापपुरा के 3750 वर्गफीट आबादी भूमि नंबर 113/2 का आवंटन फैसला तथ्यों एवं विधि के विपरीत किये जाने से निरस्त होने योग्य है।
2. यह कि ग्राम पंचायत घोटारसी ने अपने निहित क्षैत्राधिकार का नियमानुसार उपयोग नहीं करते हुए अपनी सीमा से परे जाकर पट्टा आवंटन की कार्यवाही की है। इसलिये उक्त जारी किया गया पट्टा निरस्त होने योग्य है।
3. यह कि आपसी बातचित द्वारा ग्राम प्रतापपुरा की भूमि को विक्रय करने के लिये पंचायत अधिनियम 1996 की धारा 156(2) के अनुसार विक्रय की जाने वाली भूमि की बाजार दर से राशि वसुल किये जाने का प्रावधान है लेकिन ग्राम पंचायत ने महज 1151 रूपया की विक्रय राशि प्राप्त कर 3750 वर्गफीट भूमि नंबर 113/2 ग्राम प्रतापपुरा की पट्टा विपक्षी (1) के पक्ष में जारी कर दिया गया है जो नियम व कानुन के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है।
4. यह कि दिनांक 21.11.2017 को आवंटित भूमि नम्बर 113/2 ग्राम प्रतापपुरा के संबंध में पर्चा मौका बनाया जाकर उक्त भूमि ग्राम पंचायत घोटारसी के कब्जे में ली गई है। जिसका पर्चा मौका निगरानी के साथ संलग्न है।
5. यह कि आपसी बातचित द्वारा भूमि नम्बर 113/2 ग्राम प्रतापपुरा का विक्रय किये जाने के लिये कानून व तथ्यों की अनदेखी कर नियमों के विरूद्ध आवंटन किया गया व पट्टा आवंटन हेतु पात्रता की कोई ठोस विधि सम्मत पारदर्शी जांच नहीं की गई व ग्राम पंचायत के पूर्ण प्रस्ताव का भी अभाव है व सक्षम अधिकारी से भी स्वीकृति नही ली गई है।
6. यह कि आपसी बातचीत द्वारा पट्टा आवंटन में यह भी तथ्य अंकित नहीं किये गये कि उक्त आवंटित भूमि नम्बर 113/2 ग्राम प्रतापपुरा का निलामी से उचित कीमत प्राप्त नहीं हो सकती है इसलिये आपसी बातचित द्वारा पट्टा भूमि का आवंटन विपक्षी को महत एक खातापुर्ति करके

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

गलत तरीके से विपक्षीगणों को 3750 वर्गफीट भूमि नम्बर 113/2 ग्राम प्रतापपुरा का पट्टा जारी कर दिया गया जो नियमों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है।

7. यह कि उक्त मामले में ग्राम पंचायत घोटारसी द्वारा तथ्यों एवं विधि के नियमों तथा प्राकृतिक न्याय की उपेक्षा करने व जांच रिपोर्ट में गलत तरीके से ग्राम प्रतापपुरा की भूमि आवंटन बाबत् तथ्य अंकित किये जाने के कारण विपक्षी को पंचायत अधिनियम 1996 की धारा 156(2) के तहत आरक्षित दर के अनुसार 3750 वर्गफीट आबादी भूमि नम्बर 113/2 बाबत् 111349 रूपयो X 7 का वसुली हेतु नोटिस जारी करने पर विपक्षी द्वारा राशि जमा कराने में असमर्थता व्यक्त करने के कारण व दिनांक 20.11.2017 को ग्राम पंचायत घोटारसी द्वारा उक्त ग्राम प्रतापपुरा के पट्टे को निरस्त कराने का प्रस्ताव लेने के कारण यह निगरानी अन्दर मियाद प्रस्तुत है व इस हेतु धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है।

अतः निगरानी याचिका पेश कर निवेदन है कि विपक्षी संख्या (1) के पक्ष में दिनांक 23.12.2004 को जारी पट्टा आबादी भूमि नम्बर 113/2 ग्राम प्रतापपुरा व पंचायत के संकल्प संख्या 6 दिनांक 21.07.2004 को निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें अन्य सहायता जो निगरानीकार के पक्ष में हो वह भी विपक्षी से दिलाई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रर किये जाकर अप्रार्थी/विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये जिनकी बाद तामील रिपोर्ट अप्रार्थी/विपक्षीगण 1 से 7 कि ओर से अधिवक्ता श्री जितेन्द्र राठौर द्वारा दिनांक 19.06.2019 को वकालतनामा प्रस्तुत करते हुए जवाब हेतु अवसर चाहा गया।

प्रकरण के उपस्थित वकुलाय पक्षकारान द्वारा निवेदन किया कि माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन समस्त निगरानीयां एक ही ग्राम पंचायत एवं एक ही आबादी भूमि तथा समान प्रस्तावों तथा समान प्रकृति के होने से समस्त प्रकरणों में समेंकिंत रूप से सुनवाई करते हुए बहस अन्तिम सुनी जाकर निर्णय फरमावें जिसे स्वीकार किया जाकर बहस उभय पक्ष अन्तिम उभयपक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील प्रार्थी/निगरानीकार पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत निगरानीयों में वर्णित कथनों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किये कि तत्कालिन सरपंच द्वारा बिना किसी कानुनी कार्यवाही अर्थात् पंचायतीराज अधिनियम 1994 एवं नियम 1996 में विहित प्रावधानों की प्रक्रियों को अपनाये अवैधानिक तरिके से जारी किये गये समस्त पट्टे निरस्त योग्य है तथा उक्त आवंटित पट्टों से राजकीय कोष को 1,11,349 X 6 = 668094 + 33409 = 701503 कुल रूपयों की राजस्व हानी हुई है। साथ ही निवेदन किया कि इस संबंध में ग्राम पंचायत अंकेक्षण वर्ष 2004–05 के प्रतिवेदन आक्षेप संख्या 23 में पंचायत भूमि का अनियमित आवंटन कर 701503/– रू. की राजस्व हानी कारित की गई है जिसके संबंध में LFAD लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2011–12 की अनुपालना में विकास अधिकारी, पंचायत समिति प्रतापगढ़ द्वारा सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी घोटारसी को प्रेषित पत्र क्रमांक :– पं.स. प्र/लेखा/2017–18/555 दिनांक 14.11.2017 की अनुसरण में ग्राम पंचायत घोटारसी द्वारा जरिये नोटिस क्रमांक :– ग्रा.पं.घो/नोटिस/2017–18/101 से 107 दिनांक 15.11.2017 से आवंटी/पट्टाधारकों से मांग वसुली राशि राजकोष में जमा कराने के निर्देश प्रदान किये गए उक्त क्रम में दिनांक 17.11.2017 को आवंटी/पट्टाधारकों द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत घोटारसी को लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत कर मांग वसुली राशि जमा कराने में असमर्थ बताते हुए आवंटित पट्टे जमा करा दिये गए थे। जिसके संबंध में ग्राम पंचायत घोटारसी द्वारा आयोजित साधारण सभा दिनांक 20.11.2017 के दौरान लिए गए प्रस्ताव अनुसार तथा दिनांक 21.11.2017 को निष्पादित पर्चा मौका अनुसार आवंटीगण के पक्ष में विक्रित भूमि मौके पर रिक्त हो राजसात कर लिए जाने से तथा निष्पादित विवादित उक्त पट्टों की अवैधानिकता प्रमाणित हो चुकी है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जावें।

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

इसी प्रकृम में उपस्थित अधिवक्ता अप्रार्थी/विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानियों में वर्णित कथनों का समर्थन करते हुए अवगत कराया कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी समस्त पट्टे नियमानुसार राशि जमा कराने हेतु आवंटी/पट्टेधाकर वांछित आक्षेप राशि जमा कराने में असमर्थ होने के कारण आवंटित पट्टा विलेख मय भौतिक कब्जा ग्राम पंचायत को अन्तरित कर दिया गया है अतः निगरानी निगरानीकार मेरिट पर निर्णित फरमावें।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया जिसमें प्रमुख रूप से प्रस्तुत निगरानी मेमों दिनांक 22.11.2017, ग्राम पंचायत द्वारा जारी समस्त पट्टा विलेख संख्या 1 से 7 दिनांक 23.12.2004 एवं ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या दिनांक 20.11.2017 एवं विकास अधिकारी प्रतापगढ़ से जारी पत्र दिनांक 14.11.2017 तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी सूचना पत्र क्रमांक 101 से 107 दिनांक 17.11.2017 एवं पर्चा मौका दिनांक 21.11.2017 तथा ग्राम पंचायत से प्राप्त मूल पट्टा आवंटन पत्रावली एवं बैठक कार्यवाही पंजिका वर्ष 2017 के साथ–साथ पत्रावलियों पर प्रचलित समस्त विधियों का अध्ययन किया गया ।

उपरोक्त समस्त विवेचन कि रोशनी में ज्ञात आया कि ग्राम पंचायत घोटारसी द्वारा ग्राम की आबादी भूमि 113/2 भूमि में विपक्षीगण संख्या 1 से 7 के पक्ष में आवंटित पट्टों के पूर्व कोई आवासीय कॉलोनी का प्लान तैयार नहीं किया गया था तथा उक्त पट्टों के निष्पादन कि प्रक्रिया की अनुपालना पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 48(6) तथा पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 144, 145, 146, 147,148,149 एवं 154 में विहित प्रावधानों की समुचित पालना नहीं किया जाना उपलब्ध दस्तावेजीं से दर्शित रिकार्ड है। साथ ही उपरोक्त पट्टो के वैधानिकता की स्थिति हेतु ग्राम पंचायत अंकेक्षण वर्ष 2004–05 के प्रतिवेदन आक्षेप संख्या 23 में पंचायत भूमि का अनियमित आवंटन कर 701503/– रू. *की राजस्व हानी कारित की गई है जिसके संबंध में* LFAD *लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2011–12 की अनुपालना में विकास अधिकारी, पंचायत समिति प्रतापगढ़ द्वारा ग्राम पंचायत घोटारसी को प्रेषित पत्र दिनांक 14.11.2017 के अनुसार उक्त पट्टों की अवैधानिकता पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती है तथा इन समस्त पट्टो में कुल मिलाकर ग्राम पंचायत पूर्व सरपंच द्वारा राजकीय बेशकीमती आबादी भूमि आवंटित पट्टों में वर्णितानुसार कुल 23652 वर्गफीट जिसकी तत्कालिन समय में लागत राशि* 701503/– रू. *(अक्षरे सात लाख एक हजार पांच सौ 3 रूपये) की वसुली योग्य थे जिनके मुकाबले ग्राम पंचायत द्वारा 1151/–रूपयों में प्रति पट्टा विलेख में उक्त आबादी भूमि का बेचान अपनी मनमानी से किया जाना विधि विरूद्ध रहा है। ऐसी स्थिति में राजकीय सम्पतियों को खुर्दबुर्द करने के दोषीयों के विरूद्ध विधिवत् प्रकरण संचालित किया जाना चाहीये तथा उपरोक्त समस्त जारी पट्टों की वैधानिकता प्रमाणित नहीं होने से उन्हें खारीज किया जाना आवश्यक है जिससे राजकीय क्षति को बचाया जा सके।*

अतः निगरानी निगरानीकार स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत घोटारसी द्वारा प्रस्ताव संख्या दिनांक 20.11.2017 द्वारा आवंटित पट्टा क्रमांक :– 01/2004 से 07/2004 दिनांक 23.12.2004 को खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह निर्णय आज दिनांक 12.2.24 को मेरे द्वारा सरेइजलास सुनाया जाकर लेखबद्ध कराया गया।

12/2/24

(अनुपमा जोरवाल)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ़

Scanned with CamScanner